न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– राम सुख गुर्जर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 19/2016

प्रार्थीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र नन्दाराम
2. बोदूराम पुत्र नन्दाराम
3. गणेशाराम पुत्र नन्दाराम
4. भंवरलाल पुत्र नन्दाराम
5. बाली देवी पत्नी नन्दाराम
6. रूपा देवी पत्नी बालूराम
7. गुमानाराम पुत्र बालूराम
8. धनाराम पुत्र बालूराम
9. बुद्धाराम पुत्र बालूराम
10. बेगाराम पुत्र बालूराम
11. राजूराम पुत्र बालूराम जाति समस्त जाट निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरेन्द्र कुमार मोहनपुरिया पुत्र जीवणराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी
2. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
3. उप पंजीयक कुचामनसिटी
4. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र बाबत रास्ता दिलाने व कायम करने बाबत

अन्तर्गत धारा 251(ए) R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 16/5/2017

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के पुख्ता निवासी है तथा इनकी ग्राम आनन्दपुरा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 कुचामनसिटी के रहवासी है व इनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 3.29 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि का व अप्रार्थी संख्या 1 अपने–अपने खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को अपने खेत खातेदारी भूमि मे आने–जाने का कोई सरकारी कटाणी रास्ता दर्ज नही है इसलिए प्रार्थीगण के मवेशी, गाड़ी, ट्रेक्टर हेतु आवागमन रास्ता दर्ज हो जाने से असुविधा नही हो। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 260 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 258 रकबा 3.29 हैक्टर मे से उत्तरी पूर्वी कूंट मे नजरी नक्शानुसार 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक जाने के लिए दिलाया जावे, जिसकी नियमानुसार सरकारी मुआवजा जो भी बनता है वो वहन करने के लिए प्रार्थी तैयार

...2...

है। राणासर से ढ़ोली फार्म जाने वाली मुख्य सड़क से इस रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नजदीक नही है इसलिए यह रास्ते का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 260 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 258 रकबा 3.29 हैक्टर मे से उत्तरी पूर्वी दिशा में से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने की अनुकम्पा करावें जिसका सरकारी डीएलसी दर से जो भी मुआवजा राशि बनती हे उसको अदा करने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता अनुसूचित जाति से सम्बन्ध होने के कारण खसरा नम्बर 258 की भूमि काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी प्रावधानो के तहत धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानो के तहत स्वर्ण जाति के व्यक्ति के लिए अन्तरित नही हो सकती। अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि की सुरक्षार्थ चारो तरफ कांटो व छड़ियो युक्त मिट्टी की बाड़ से सींव माठ कायम कर कृषि कार्यो के प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लिया जाता है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 260 की भूमि के लिए जब रास्ता की भूमि उपलब्ध नही है तो फिर गत वर्षो में प्रार्थीगण किसी न किसी खसरा नम्बर की भूमि मे से होकर पारस्परिक सहमति से आवागमन आवश्यक करते है उक्त रास्ते का उल्लेख अपने कथनो में जानबूझकर नही किया है, मौजूद रास्ते की स्थिति बाबत तथ्य प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी प्रावधानो धारा 251 ए के तहत आवश्यक मानदण्डो के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत विहित प्रारूप में प्रस्तुत नही होने के कारण काबिल खारिज है। ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 258 की भूमि के लिए प्रार्थीगण अपने नजदीकी भाई बन्धू की कृषि भूमि खसरा नम्बर 261 जिसके खातेदार लाखाराम चन्द्राराम लिछमणराम भुवानाराम वगैरह की भूमि मे से होकर पारस्परिक सहमति वर्षो से सुगम व सुलभ रूप से आवागमन करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 261 के अतिरिक्त प्रार्थीगण खसरा नम्बर 273 पूरब–दक्षिण कोने पर उत्तर में खसरा नम्बर 271 की दक्षिण –पश्चिम सींव से होकर निरन्तर आवागमन करते आ रहे है, खसरा नम्बर 258 के लिए सबसे नजदीकी आवागमन हेतु विकल्पित साधन के रूप में चालू मार्ग पहले से उपलब्ध है, उक्त खसरा नम्बर 261 व 262 के खसरा नम्बर पूर्व के एक ही रहा है तथा इनके खातेदार लाखाराम, चन्द्राराम लिछमण भुवानाराम भी प्रार्थीगण के परिवारजन के निकटम सम्बन्धी रिश्तेदार होने के कारण आपस में भाई बन्धू है जिनकी भूमि में प्रार्थीगण को विकल्पित साधन के रूप में खसरा नम्बर 260 के लिए पहले से उपलब्ध वैकल्पित चालू मार्ग की फोटो पत्रावली पर उपलब्ध है जो सलग्न नक्शा ट्रेस संलग्न है जिसमे मार्क ए बी सी डी से होकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थी की इस्तदुआ है कि आवेदन विधि के विहित प्रावधानो के विपरीत है, प्रार्थीगण द्वारा

...3...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय के समक्ष हस्तगत आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पारस्परिक सहमति आज्ञापक प्रावधानो की पालना नही की गई है,प्रार्थीगण के मवेशी,गाड़ी ट्रेक्टर हेतु आवागमन रास्ता लिए केवेल सुविधाजनक उपयोग के लिए अनुसूचित जाति के अप्रार्थी उत्तरकर्ता की कृषि भूमि खसरा नम्बर 258 मे से रकबा 3.29 हैक्टर मे से उत्तर–पूर्वी दिशा मे से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कायम करवाने के अधिकारी नही है,जमाबन्दी व नक्शे के रेकर्ड तरमीम हेतु प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत नही किया है इस परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन काबिल खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त प्रश्नगत खसरा नम्बर की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपने पत्रांक/भू. अ./1330 दिनॉक 15.6.2016 द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.06.2016 नि.भू.अ. जिलिया द्वारा तैयार करवाकर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल है। रिपोर्ट नि.भू.अ. जिलिया दिनॉक 02.06.2016 अनुसार ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 258 व 260 की मौका रिपार्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 260 के खातेदारो द्वारा खसरा नम्बर 260 में प्रवेश हेतु रास्ते की मांग की है जिसका नजरी नक्शा फर्द मौका में अंकित किया है तथा खसरा नम्बर 258 की खातेदारी नरेन्द्र कुमार मोहनपुरिया पुत्र जीवणराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी के नाम दर्ज रेकर्ड है , खसरा नम्बर 260 मे प्रवेश हेतु खसरा नम्बर 258 नजरी नक्शे में लाल स्याही से **A** से **B** तक दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते से ही प्रवेश किया जा सकता है इसके अलावा अन्य कोई कटाणी रास्ता नही है। खसरा नम्बर 258 मे **A** से **B** तक दर्शाये प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 36 मीटर है प्रार्थी द्वारा 7 मीटर चौड़ाई रास्ते की मांग की है। अतः **36 X 7=** 252 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में जायेगी। प्रस्तावित रास्ते में कोई पेड़ व स्ट्रेक्चर नही है, प्रस्तावित रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 260 मे प्रवेश हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। कैम्प के दौरान प्रार्थीगण ने कथन किया है कि उनको रास्ते हेतु भूमि चौड़ाई में 7 मीटर के बजाय 5 मीटर काफी है। अतः प्रार्थी का कथन स्वीकार कर रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर की जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली केम्प कोर्ट "न्याय आपके द्वार 2017" ग्राम पंचायत आनन्दपुरा में प्रस्तुत हुई। उभय पक्षकारान केम्प कोर्ट में उपस्थित आये। तहसीलदार कुचामनसिटी, पटवारी हल्का आनन्दपुरा, नि.भू.अ.जिलिया एवं आमजन से उक्त रास्ते के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई तथा पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता होना सभी ने जाहिर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 मे आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 258 में से 180वर्ग मीटर रास्ते की प्रार्थी के कथन अनुसार आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में 7 मीटर चौड़ाई रास्ते की रिलिफ चाही थी, परन्तु राजस्व कैम्प कोर्ट के दौरान पक्षकार प्रार्थी द्वारा 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत कथन किया है, इसी अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराना प्रार्थी के हित निहित मे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार होने से निम्नवत स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा 260 मे आने जाने व आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 258 मे से उत्तरी–पूर्वी दिशा मे से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 36 वर्ग मीटर लम्बाई तथा 5 मीटर चौड़ाई कुल 180 वर्ग मीटर का गैर मुमकीन रास्ता (कटाणी) कायम किया जाता है । रास्ता भूमि का मुआवजा राशि प्रार्थी ग्राम आनन्दपुरा मे 350400/रूपये प्रति हैक्टर से 180 वर्ग मीटर की राशि 6308/– की दुगुनी राशि 12616/– बारह हजार छः सौ सोलह रूपये मात्र रूपये देय है । जिसका प्रार्थीगण डीडी /बैंक ड्राफ्ट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन रास्ते का अमल दरामद करने तथा नक्शे में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहरीर जारी हो । फर्द मौका रिपोट दिनॉक 02.06.2016 आदेश का भाग रहेगी । अप्रार्थी 1 उक्त राशि एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित आकर प्राप्त कर लेवे ।

आदेश आज दिनॉक 16/5/2017 को कोर्ट कैम्प आनन्दपुरा में सुनाया गया।

(राम सुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)